प्रकरण संख्या 67/2016 रता व अन्य बनाम रामा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य के विरूद्ध एक वाद विभाजन एवं निशेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विजयपुरा में आराजी नंबर 18 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नंबर 19 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की है। उक्त भूमि मौके अनुसार पक्षकरान काबिज होकर का''त कर रहे हैं, किन्तु अभी तक भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित हिस्से अनुसार पक्षकारान को खातेदार घोशित किया जाकर स्थाई निशेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 21.05.2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्प''चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 03.06.2016 को अंतिम डिक्री जारी की। उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.05.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 03.06.2016 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2016 को यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 व 11, 12 की ओर से वकील श्री खेमराज डांगी उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 25 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया तथा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली की प्रकरण में पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब हेतु दिनांक 15.07.2015 को नियत थी, किन्तु इससे पूर्व ही अपीलान्टगण को बिना कोई सूचना दिये पत्रावली दिनांक 21.05.2015 को राजस्व कैम्प में रखकर	

वाद डिक्री कर दिया जो त्रुटि पूर्ण है। बंटवाड़ा सूची हेतु तहसीलदार को कमि"नर नियुक्त किया था, जबकि बंटवाड़ा सूची पटवारी द्वारा तैयार की गयी है, जिसकी भी कोई सूचना अपीलान्टगण को नहीं दी गयी है। तद्नुसार उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर जारी अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रारम्भिक डिक्री अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 21.05.2015 को जारी की गयी है, जिसके अपील की मियाद 20.07.2015 होती है, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 04.08.2016 को अर्थात करीब 1 वर्श से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए मियाद का कोई आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा उठायी गयी आपत्ति बेरून मयाद होने से हम प्रारम्भिक डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं, किन्तु जहां तक अंतिम डिक्री का प्र"न है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार वल्लभनगर को कमि"नर नियुक्त किया गया था, जबकि फर्द बंटवाड़ा पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण हैं।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट आं"िाक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 21.05.2015 यथावत रखी जाती है तथा अंतिम डिक्री दिनांक 03.06.2016 अपास्त की जाती जाकर पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार वल्लभनगर स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवाड़ा तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें तथा अधिनस्थ न्यायालय उक्त फर्द बंटवाड़े पर यदि पक्षकारान की कोई आपत्तियां हैं तो उनका निराकरण करते हुए प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर अंतिम डिक्री जारी करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.11.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 67/2016 रता व अन्य बनाम रामा व अन्य